भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 609

उत्तर देने की तारीख: 04.02.2026

अनुसूचित जातियों के लिए ऋण के प्रावधान में वृद्धि

609. श्री नीरज डांगी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु कौन-कौन सी केंद्रीय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों में इन योजनाओं के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मुद्रास्फीति में वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदान की गयी ऋण सीमा अपर्याप्त है, और यदि हां, तो ऋण सीमा बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आय सृजन गतिविधियों के लिए 5.00 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता है:-

i. माइक्रो फाइनेंस योजना
ii. सावधि ऋण योजना
iii. शैक्षणिक ऋण योजना
iv. आजीविका माइक्रोफाइनेंस योजना
v. उद्यम निधि योजना

(ख) से (ग): सावधि ऋण योजना के तहत 45 लाख रुपये तक की अधिकतम ऋण सीमा के साथ 50 लाख रुपये प्रति यूनिट की मौजूदा कुल परियोजना लागत सीमा यह ध्यान में रखते

हुए पर्याप्त मानी जाती है कि एनएसएफडीसी 5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण देता है।

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न समीक्षा बैठकों, संसदीय स्थायी समितियों और परामर्शदात्री समिति की बैठकों के दौरान प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) ने अपनी मौजूदा योजनाओं की समीक्षा की है। परिणामस्वरूप, एनएसएफडीसी ने योजनाओं की संख्या को युक्तिसंगत बनाने और उन्हें लक्षित समूह के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अधिक मांग के अनुसार संचालन योग्य और प्रभावी बनाने को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं का विलय या उनका पुनर्गठन किया।

आवश्यकता के आधार पर, एनएसएफडीसी ने विगत पांच वर्षों के दौरान समय-समय पर शिक्षा ऋण योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा में संशोधन किया है और इसे भारत और विदेश दोनों में अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये प्रति यूनिट कर दिया है।

*****